तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
29/9/25	पत्रावली वाद हेतु आदेश पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी ने अपने वाद में प्रकरण में मूल वाद तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः न्यायालय आदेश देता है कि मौजा पालाखेड़ी की खाराजि नं. 628 रकबा 0.4000 व खाराजि नं. 1, 252, 540, 572, 576, 583, 587 कुल किता 7 रकबा 4.4100 हे. तथा खाराजि नं. 592, 611, 612, 613 कुल किता 4 रकबा 0.6800 हे. तथा खाराजि नं. 614 रकबा 0.1000 हे. में विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण के इस हिस्से में दखलन्दाजी न करे न कराये मौके व राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति बनाये रखे। विपक्षीगण को इस हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मरवा के लिए हो। मूल वाद के साथ संलग्न हो।	

सहायक कलेक्टर
पीपाड़ सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:29:22 IST
Reason: SelfAttested